राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

समक्ष अधिकारी :– बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या :– 15/2024 प्रा0 क्र

प्रार्थी/प्रार्थीगण 1. अर्जुन पुत्र 2. लेम्टार नि0 बैमाली- तह0 करेड़ा

बनाम

प्रार्थी/विपक्षीगण 1. शोकल देवी नि0 बैमाली- तह0 करेड़ा - व अ0

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 18/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम बैमाली पटवार हल्का बैमाली तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 46 आराजी नम्बर 1634, 4129/1634, ... कुलकिता 2 रकबा 0.5691 हैक्टेयर भूमि वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन भी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19/1/24 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी देशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते के की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बैमाली पटवार हल्का बैमाली तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या नम्बर 1634, 4129/1634, ... कुलकिता 2 रकबा 0.5691 हैक्टेयर भूमि रफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक को ..... /– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर गण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील [illegible] की जावें। फसल पर पत्थरगढी नही की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.06.21 15:55:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा